कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड,
87 राजपुर रोड, देहरादून
फैक्स:-0135-2741607 ई-मेल:-ccfpfmua@gmail.com तथा ccfpfm@rediffmail.com with pass word- ccfpfm

पत्र संख्या- नि0 1221 / 11-3 देहरादून, दिनांक: 16 जनवरी, 2010

राज्य कैम्पा की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक का कार्यवृत्त – दिनांक 06.01.2010

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य कैम्पा की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में दिनांक 06.01.2010 को निम्न अधिकारियों ने प्रतिभाग किया –

1. श्री सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून एवं उपाध्यक्ष स्टीयरिंग कमेटी।
2. डॉ0 आर0बी0एस0 रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. श्री अनुप बधावन, प्रमुख सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त / नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री एस0एस0 शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक, ग्राम वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबन्ध।
6. श्री एस0 चन्दोला, सदस्य सचिव / अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, देहरादून।
7. श्री राजेन्द्र कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
8. श्री एम0सी0 जोशी, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री राजकुमार वरिष्ठ शोध अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।

सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि भारत सरकार ने कैम्पा की 5 वर्ष की वार्षिक कार्ययोजनाओं को एक मुश्त स्वीकृत करने के उद्देश्य से पंचवर्षीय प्रस्ताव चाहा है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 02.07.2009 को जारी राज्य कैम्पा गाइड लाइन के अनुसार राज्य कैम्पा स्थापित की जानी है जिस क्रम में उत्तराखण्ड शासन, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3495 / X-2-2009-7(6)/2004 दिनांक 10.11.2009 से राज्य स्तरीय कैम्पा स्थापित की गई। समिति को अवगत कराया गया कि जारी गाइड लाइन के अनुसार राज्य कैम्पा की स्टीयरिंग कमेटी के निम्न दायित्व हैं –

क. राज्य कैम्पा की गतिविधियों हेतु नियम एवं प्रक्रिया निर्धारण करना।
ख. राज्य कैम्पा द्वारा व्यय की गई धनराशि की प्रगति का अनुश्रवण करना।
ग. एक्जेक्यूटिव कमेटी द्वारा रचित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन करना।
घ. वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षा किये गये लेखे का अनुमोदन करना।
ड. अर्न्तविभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।

उपरोक्त मद संख्या 'ग' के क्रम में सदस्य सचिव ने एक्जेक्यूटिव कमेटी द्वारा रचित पंचवर्षीय कार्ययोजना के सार का पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण किया गया जिसके मुख्य तथ्य निम्नानुसार थे –

1. राज्य कैम्पा की एक्जेक्यूटिव कमेटी द्वारा दिनांक 05.01.2010 की बैठक में पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार की गई जिसे स्टीयरिंग कमेटी के सम्मुख विचार एवं अनुमोदन हेतु रखा जा रहा है।
2. नवम्बर 2009 तक कैम्पा के कोष में उत्तराखण्ड राज्य के रू0 820.76 करोड़ जमा हैं जिसमें से रू0 81.65 करोड़ राज्य कैम्पा को प्राप्त हो चुके हैं।
3. एक्जेक्यूटिव कमेटी द्वारा कैम्पा में उपलब्ध 820.76 करोड़ के विरूद्ध रू0 873.61 करोड़ की पंचवर्षीय कार्ययोजना राज्य कैम्पा की स्टीयरिंग कमेटी के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी और यह स्पष्ट किया गया कि रू0 52.85 करोड़ की धनराशि की पूर्ति अनुवर्ती वर्षो में प्राप्त होने वाली एन0पी0वी0 अथवा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि से निश्चित रूप से हो जाएगा।

4. प्रस्तुत पंचवर्षीय योजना में मुख्य भाग एन0पी0वी0 की धनराशि का है (68 प्रतिशत) तथा शेष धनराशियां कैट प्लान (20 प्रतिशत), क्षतिपूरक वृक्षारोपण (6 प्रतिशत), अन्य गतिविधियां (5 प्रतिशत) तथा संरक्षित क्षेत्रों के भूमि हस्तान्तरण (1 प्रतिशत) के लिए निर्धारित हैं।

पावर प्वांइट प्रस्तुतिकरण के उपरान्त स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रू0 873.61 करोड़ के पंचवर्षीय प्रोजेक्ट के प्रत्येक कार्यमद का परीक्षण किया गया तथा पर्याप्त विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव में संशोधन करते हुए संलग्न प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई और निम्न निर्णय लिये गये –

- अध्यक्ष महोदय द्वारा वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु मात्रांकित रू0 59.50 करोड़ में रू0 20.00 करोड़ की वृद्धि करने के निर्देश दिये गये।
- वन पंचायतों के लिए मात्रांकित धनराशि में से वन अग्नि नियंत्रण के उद्देश्य से पीरूल एकत्रीकरण हेतु चिन्हित धनराशि का उपयोग रिवाल्विगं फंड के रूप में किया जाएगा और यह गतिविधि पी0पी0पी0 मोड में सम्पादित की जाएगी।
- वन पंचायतों में व0प0 सहायक को कैम्पा के तहत केवल रू0 1000 प्रतिमाह की धनराशि देय होगी तथा इसके अतिरिक्त रू0 500 प्रतिमाह की धनराशि अमुक वन पंचायत के बजट में से दी जाएगी।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रमुख वन संरक्षक, ग्राम वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबन्ध को एक्जेक्यूटिव कमेटी के स्थायी आमंत्री के रूप में नामित किया जाए।
- लोहारीनाग–पाला परियोजना के कैटप्लान का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ किया गया कि उसके कैट प्लान की धनराशि (रू0 3871.99 लाख) का उपयोग परियोजना की पूर्ण स्वीकृति के उपरान्त ही अनुमन्य होगा।

दिनांक 06.01.2010 की राज्य कैम्पा की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और पंचवर्षीय प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीकान्त चन्दोला)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड देहरादून

संख्याः 1221 (1)/ 11-3 **तद्‌दिनांकित**।

प्रतिलिपि बैठक में उपस्थित निम्न अधिकारियों को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. श्री एन0एस0 नपलच्याल, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, राज्य कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी।
2. श्री सुभाष कुमार, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. डॉ0 आर0बी0एस0 रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. श्री अनुप बधावन, प्रमुख सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एस0एस0 शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक, ग्राम वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबन्ध।
7. श्री राजेन्द्र कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
8. श्री एम0सी0 जोशी, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री राजकुमार वरिष्ठ शोध अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।

संलग्नकः यथोपरि।

(श्रीकान्त चन्दोला)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड देहरादून